File No.: TIC-C10201(N)/1/2021-IMPORTS-FSSAI
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
(खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, २००६ के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
(Trade and International Cooperation Division-TICD)
(व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग)
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi– 110002
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- ११०००२

Dated: 25th June 2025.

PUBLIC NOTICE

Subject: Roll out of "Single Sign On" to FICS, feature to the Customs Officers at Kakinada port (Port Code: INKAK1) and Talegaon (Port Code: INTLG6) - regarding.

Food Safety and Standards Authority of India is established under Food Safety and Standards Act, 2006, for regulating the quality and safety of domestic and imported food intended for human consumption. (Link: https://fssai.gov.in/)

At present, food import in India is allowed through 162 Points of Entry (PoE). Out of 162 Points of Entry, FSSAI officials are working as 'Authorised Officers' at 78 points of entry and at remaining 84 points of entry, Customs officials have been notified as Authorised Officers by FSSAI for ensuring compliance to the provisions of FSSA Act, 2006 and Regulations made thereunder.

To ensure the quality and Safety of the imported food, FSSAI has an online system for clearance of food imports, Food Import Clearance System (FICS) which is seamlessly integrated with the Customs ICE-GATE (Indian Customs Electronic Commerce/Electronic Data interchange (EC/EDI) Gateway) under SWIFT (Single Window Interface for Facilitating Trade). Selective sampling & testing of imported food articles on the basis of risk profiling done by FSSAI is implemented at the Customs ICEGATE.

The FSSAI's Food Import Clearance System (FICS) which is implemented at FSSAI manned Points of Entry is digital, online and paperless process. However, at present, a manual process is being followed the Points of Entry where Custom Officials are working as Authorised Officers as these Points of Entry are not integrated with Food Import Clearance System of FSSAI.

In order to ensure food safety, transparency and ease of doing business in all the Points of Entry, FSSAI and CBIC have decided to integrate the non-FSSAI manned Points of Entry with Food Import Clearance System (FICS) of FSSAI and ICEGATE of CBIC.

For pilot roll out of the 'Single Sign On', two Points of entry – Kakinada Port (Port Code: INKAK1) of Southern Region and Talegaon Port (Port Code: INTLG6) of Western Region, have been selected. This 'Single Sign On' will be implemented at the remaining 82 Points of Entry after successful completion of this pilot project.

For any further details on the matter, stakeholders may contact at import@fssai.gov.in telephone no.: 011-23667395.

25.06.2025
Manvesh Kumar, IRS
Director, TICD.

Copy to:

- Chief Commissioner, Customs & Central Tax of Visakhapatnam and Pune
- Joint Secretary (Customs), CBIC
- Principal Commissioner, Customs & Central Tax of Pune and Visakhapatnam
- Regional Directors, Southern Regional office of FSSAI and Western Regional Office of FSSAI
- Authorised Officers (Superintendent/Appraiser/Inspector/Examiner) of Kakinada Port and Talegaon Port
- Guard file of TICD, FSSAI HQ
- CITO-with a request to upload on the FSSAI website.

File No.: TIC-C10201(N)/1/2021-IMPORTS-FSSAI

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित वैधानिक प्राधिकरण)

(व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग)

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002

दिनांक: 25th जून, 2025

सार्वजनिक सूचना

विषय: काकीनाड़ा पोर्ट (पोर्ट कोड: INKAK1) और तलेगांव (पोर्ट कोड: INTLG6) पर सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए FICS में "सिंगल साइन ऑन" की सुविधा के कार्यान्वयन के संबंध में

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मानव उपभोग हेतु घरेलू और आयातित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को विनियमित करने के लिए की गई है। (लिंक: https://fssai.gov.in)

वर्तमान में, भारत में खाद्य आयात 162 प्रवेश स्थानों (Points of Entry - PoE) के माध्यम से अनुमत है। इन 162 प्रवेश स्थानों में से, 78 स्थानों पर एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारी 'अधिकृत अधिकारी (Authorised Officers)' के रूप में कार्यरत हैं तथा शेष 84 स्थानों पर एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों को 'अधिकृत अधिकारी' के रूप में नामित किया गया है ताकि एफ.एस.एस.ए.आई अधिनियम, 2006 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

आयातित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, एफ.एस.एस.ए.आई की खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली (FICS) नामक एक ऑनलाइन प्रणाली है, जो सीमा शुल्क ICE-GATE (भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स / इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EC/EDI) गेटवे) के साथ SWIFT (व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एकीकृत इंटरफ़ेस) के तहत एकीकृत है। एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा किए गए जोखिम प्रोफाइलिंग के आधार पर आयातित खाद्य वस्तुओं का चयनात्मक नमूनाकरण और परीक्षण ICE-GATE प्रणाली पर किया जाता है।

एफ.एस.एस.ए.आई की FICS प्रणाली, जो कि एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा संचालित प्रवेश स्थानों पर लागू है, वह पूर्णतः डिजिटल, ऑनलाइन और कागजरहित है। हालांकि, वर्तमान में जहाँ सीमा शुल्क अधिकारी 'अधिकृत अधिकारी' के रूप में कार्य कर रहे हैं, वहां मैनुअल प्रक्रिया अपनाई जा रही है क्योंकि वे प्रवेश स्थान अभी तक एफ.एस.एस.ए.आई की FICS प्रणाली से एकीकृत नहीं हैं।

खाद्य सुरक्षा, पारदर्शिता और व्यापार में सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, एफ.एस.एस.ए.आई और सी.बी.आई.सी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने निर्णय लिया है कि गैर-एफ.एस.एस.ए.आई प्रवेश स्थानों को भी एफ.एस.एस.ए.आई की FICS प्रणाली और सी.बी.आई.सी की ICEGATE प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाए।

'सिंगल साइन ऑन' की पायलट परियोजना के रूप में दो प्रवेश स्थानों का चयन किया गया है – काकीनाड़ा पोर्ट (दक्षिण क्षेत्र) – पोर्ट कोड: INKAK1 और तलेगांव पोर्ट (पश्चिमी क्षेत्र) – पोर्ट कोड: INTLG6

इस पायलट परियोजना के सफल कार्यान्वयन के पश्चात, शेष 82 प्रवेश स्थलों पर भी यह सुविधा लागू की जाएगी। हितधारक इस विषय पर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए import@fssai.gov.in पर ईमेल या 011-23667395 पर संपर्क कर सकते हैं।

मानवेश
25.06.2025

मानवेश कुमार (आईआरएस)
निदेशक (व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग)

प्रतिलिपि:

- मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापत्तनम और पुणे
- संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क), सीबीआईसी
- प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, पुणे और विशाखापत्तनम
- दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, एफ.एस.एस.ए.आई और पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, एफ.एस.एस.ए.आई के क्षेत्रीय निदेशक
- काकीनाडा बंदरगाह और तालेगांव बंदरगाह के अधिकृत अधिकारी (अधीक्षक/मूल्यांकनकर्ता/निरीक्षक/परीक्षक)
- टीआईसीडी, एफ.एस.एस.ए.आई मुख्यालय की गार्ड फाइल
- सीआईटीओ-एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।